संख्या-799/2026/2190/22-2-2025-17(961)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 22 जून, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सोनू उर्फ मोनू पुत्र श्री गोधन, निवासी जनपद-जालौन की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-39639/प्रो0अनु0(2)-306/2025 (बैठक दिनांक 13.10.2025), दिनांक 16.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सोनू उर्फ मोनू पुत्र श्री गोधन, जो ग्राम-सिरसा कलार, थाना-सिरसा कलार, जनपद-जालौन का निवासी है। दिनांक 08.12.2010 को बंदी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर 09 वर्ष की एक अबोध बालिका के साथ बलात्कार कर हत्या करने की घटना कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) सत्र परीक्षण संख्या-190/2011 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 376/34, 201/34 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एक्स कैडर-प्रथम, औरया के आदेश दिनांक 27.09.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (2) सत्र परीक्षण संख्या-139/2012 में भा0द0वि0 की धारा-3(1) यू०पी० गैंगेस्टर अधि० में 10 वर्ष कारावास के कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 06.10.2025 तक बदी द्वारा अपरिहार 14 वर्ष, 09 माह, 23 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 06 माह, 23 दिन की सजा भोगी गयी है। दिनांक 06.10.2025 तक बंदी की आयु लगभग 42 वर्ष 08 माह 21 दिन है।

पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, औरैया द्वारा बंदी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी नही होने, पुनः अपराध कर सकने, पुनः अपराध करने में सशक्त होने, अगर समय से पूर्व रिहा किया जाता है तो वह पुनः अपराध करेगा तथा समाज में भय व आतंक का महोल बना होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या प्रेषित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी० श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा० दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने अभिमत दिनांक 17.04.2025 द्वारा प्रेषित आख्या में अंकन किया गया है कि "अभियुक्त की समयपूर्व रिहाई के सम्बंध में कोई अभिमत दिया जाना सम्भव नही है।"

सलाहकार समिति का अभिमत है कि प्रकरण का गहनता से परिशीलन करने पर पाया गया कि दिनांक 08.12.2010 को बंदी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर 09 वर्ष की एक अबोध बालिका के साथ बलात्कार कर हत्या करने की घटना कारित की। मा० उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गई है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जिला मजिस्ट्रेट, की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द०प्र०सं० के अर्न्तगत सिद्धदोष बन्दी सोनू उर्फ मोनू पुत्र श्री गोधन को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गई है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सोनू उर्फ मोनू (बन्दी संख्या-26834) पुत्र श्री गोधन, निवासी जनपद-जालौन की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-799/2026/2190(1)/22-2-2025 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जालौन।
2- पुलिस अधीक्षक, जालौन।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।